

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>17/5/18</p>	<p>पत्रावली तलब की गई/लोक अदालत कोर्ट केम्प हेतु पक्षकारों एव अधिवक्ता को सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 25/5/18 को उपजुड मुख्यालय... में पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">बति० बिजा कलेक्टर, पाणो</p>	
<p>25/5/18</p>	<p>पत्रावली लोक अदालत/कोर्ट केम्प... पेश हुई। पक्षकार सहमत नहीं होने से पत्रावली दिनांक... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">बति० बिजा कलेक्टर, पाणो</p>	
<p>12/6/18</p>	<p>अधीन मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया. है। पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 18/6/18 को पेश हो।</p>	
<p>18/6/2018</p>	<p>अधीन मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया. है। पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 9/7/2018 को पेश हो।</p>	
<p>9/7/18</p>	<p>अधीन मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया. है। पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 11/8/18 को पेश हो।</p>	
<p>11/8/2018</p>	<p>बहुलाय उपो प्राथी द्वारा आपाथीगता के वर्तमान निताय पते पेश नही किए हैं। इसके कारण वर्ष 2013 से प्रस्ता तलबी में ही नियत है। यह सिविल रिवेन्यू कोर्ट में न्यूडाल 1956 के अध्याय 2 के नियम 15 का अन्वयान है। अतः प्राथी द्वारा प्रस्तुत आपाथीगता रिवेन्यू कोर्ट में न्यूडाल 1956 के अध्याय 2 के नियम 2 के तहत पीठनीय नही होने से स्वारिस किया जाता है तथा TDR ... 1967/1968 Junction को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आपाथीगता का वर्तमान</p> <p style="text-align: center;">बति० बिजा कलेक्टर, पाणो</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इन हुक्म की ता. में जारी हुए</p>
	<p>नितालस पति शंखित एक एक माह की अवधि में नये तारे से इन्फरन्स प्राप्य पेश करें। इस निर्देश की प्रति TDR मोकदमाद इफ्तमोंग को बिजगाई अथवा लाक पालना प्रभावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">जज: बिना कचरुडर, पासा</p>	